महत्वपूर्ण एवं खास

सरकार ने चरण पादुका वितरण योजना की बंद

रायपुर। पूर्व की रमन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चरण पादुका वितरण योजना को भूपेश सरकार ने बंद कर दिया है। आज विधानसभा में सवाल के लिखित जवाब में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने सदन में ये जानकारी दी। अतारांकित सवालों के तहत पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने ये सवाल वन मंत्री से पूछा था कि क्या राज्य सरकार ने चरण पादुका वितरण योजना निरस्त कर दिया है। यदि, हां, तो क्या इसके बदले राज्य सरकार अब नकल राशि देगी, यदि हां, तो दर का निर्धारण प्रति जोड़ा कितना किया गया है।

प्लेसमेंट कैम्प 21 फरवरी को

रायगढ़। जिले के शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निजी क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर भर्ती करने के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायगढ़ एस.ई.सी.एल रोड मैरीन ड्राईव में 21 फरवरी को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। प्लेसमेंट कैम्प में 6 मार्केटिंग एक्सक्लूजिव, 6 एकेडेमिक काउंसलर (योग्यता- स्नातक), 4 टैली ट्रेनर (बी.कॉम व टैली), 4 प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर (योग्यता-एम.बी.ए.), 4 पॉवर सेक्टर ट्रेनर (योग्यता-बी.ई./बी.टेक. (इलेक्ट्रिकल) व 4 असिस्टेंट प्रोफेसर (योग्यता-एम.सी.ए.) शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदक कैम्प में भाग ले सकते है। इच्छुक आवेदक जिला रोजगार कार्यालय रायगढ़ में उपस्थित होकर अपना आवेदन जमा कर चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। आवेदक अपने (बायोडाटा के साथ) समस्त शैक्षणिक प्रमाणपत्र, अंक सूची, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कार्ड तथा निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति व एक-एक छायाप्रति व पासपोर्ट साईज के दो फोटोग्राफ के साथ उपस्थित हो सकते है।

अशासकीय विद्यालयों में आरटीई अंतर्गत छात्रों का प्रवेश

जिले के समस्त स्कूलों में 22 फरवरी को प्रशिक्षण

रायगढ़। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के परिवार के बच्चों को जिले के निजी अशासकीय विद्यालयों में ऑनलाईन माध्यम से प्रवेश सत्र 2019-20 के लिए 22 फरवरी को जिले के समस्त नोडल शा.उ.मा.वि./हाई स्कूल में प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु जानकारी एवं दस्तावेजों की जांच की जाएगी। पालक जन्म प्रमाण-पत्र, निवास संबंधी प्रमाण-पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के साथ अपने निवास के नजदीकी शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी यशवंत कुमार ने लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश प्रकरणों का निराकरण हेतु डिप्टी कलेक्टर श्रीमती नम्रता डोंगरे को नोडल अधिकारी एवं आदिवासी विकास रायगढ़ के लेखापाल युगल किशोर पण्डा को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किए है।

आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब बेचने वालों को धर दबोचा

रायगढ़। आबकारी विभाग की टीम ने विभिन्न जगहों से मदिरा जब्त करते हुए और संबंधित के विरूद्ध प्रकरण कायम कर न्यायालय में पेश किया है। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों में मदिरा पान करते हुए लोगों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। आबकारी उपनिरीक्षक रमेश कुमार अग्रवाल ने मुखबीर की सूचना पर ग्राम-भेलवा टिकरा में एक व्यक्ति को महुआ शराब बेचते हुए पकड़ा। इसके पास से 3 लीटर महुआ शराब बरामद कर जब्त की गई। जामगांव स्थित में प्लास्टिक बोरी में 26 पाव देशी मदिरा बरामद की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। कांशीचुआ के जंलीधर राठिया, पुरानी बस्ती के गोवर्धन खाण्डे और हलधर मनहर के विरूद्ध आबकारी धाराओं के तहत प्रकरण कायम कर न्यायालय में पेश किया गया। पुसौर के ग्राम-देवल सुर्रा में ओडिसा से तस्करी कर लाई गई महुआ शराब के पाउच के बिक्री किए जाने की सूचना पर आबकारी उप निरीक्षक रमेश सिंह सिदार ने संतराम निषाद को 22 पालीथीन पाउच शराब रखे पाए जाने पर प्रकरण कायम किया। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पकड़ा जाने पर आनंद कुमार गुप्ता, मनोज कुमार साव और विनोद साव के विरूद्ध आबकारी धारा के तहत प्रकरण कायम किया गया। सरिया में प्रकाश मराठा, अभिमन्यु चौहान और टेकराम सिदार को आबकारी धाराओं के तहत पकड़ा। आबकारी उप निरीक्षक खरसिया आशीष उप्पल ने करपीपाली में देशी शराब बेचते हुए मन्नूलाल यादव को गिरफ्तार किया। आरोपी से 10 पाव देशी मदिरा प्लेन जब्त किया। बायंग चौक चपले में लवकुमार साहू को भी 10 पाव देशी शराब के साथ पकड़ा गया। आबकारी विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध शराब बनाने, बेचने, परिवहन आदि करते पाए जाने पर 6 महीने से दो साल की जेल और 10 से 50 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।

प्रदेश में 23 लाख से ज्यादा बेरोजगार, विधानसभा में सामने आये बेरोजगारी के खौफनाक आंकड़े, सबसे ज्यादा बेरोजगार दुर्ग में

रायपुर। प्रदेश में लाखों की संख्या में बेरोजगार है, जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं। विधानसभा में आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के खौफनाक आंकड़े पेश किये गये हैं। बेरोजगारी के ताजे आंकड़ों के मुताबिक अभी प्रदेश में 23 लाख 25 हजार 085 बेरोजगार हैं। ये वो बेरोजगार हैं, जो सरकारी दस्तावेजों में पंजीकृत हैं। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा के जवाब में मंत्री उमेश पटेल ने आज विधानसभा में बताया कि 23 लाख 25 हजार 085 बेरोजगार हैं। हालांकि ये पूछे जाने पर कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का क्या फैसला है, जिस पर मंत्री उमेश पटेल ने बताया है कि अभी सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं किया है। विचार होने पर तुरंत इसे लागू किया जायेगा।

अंडर-16 क्रिकेट में डीकेश का शानदार प्रदर्शन

रायगढ़। जिले की क्रिकेट में युवा खिलाड़ी लगातार सामने आ रहे हैं जिसमें डीकेश साव का नाम प्रमुखता में है। डीकेश ने अंडर-16 राज्य स्तरीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने में दूसरा स्थान प्राप्त कर रेस्ट आफ सीएससीएस टीम को फायनल जीताने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जिला क्रिकेट संघ के सचिव रामचन्द्र शर्मा ने बताया कि डीकेश साव का चयन अंडर-16 क्रिकेट में एलिट ग्रुप के लिये रेस्ट अफ सीएससीएस की छत्तीसगढ़ टीम में हुआ था, जिसमें उसने एलिट मैचों के दौरान शानदार प्रदर्शन किया और रेस्ट अफ सीएससीएस की टीम को अंडर-16 का फायनल जीताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

डीकेश साव मध्यक्रम के बल्लेबाज होने के साथ-साथ एक बेहतरीन विकेट कीपर भी हैं उसने एलिट मैचों के दौरान कुल 298 रन बनाये जिसमें 2 नाबाद पारी भी शामिल हैं।

पत्नी से विवाद पति ने कर लिया जहर सेवन

रायगढ़। खरसिया थाना क्षेत्र स्थित ग्राम रतन महका निवासी 31 वर्षीय विवाहित ने व्यक्ति की पत्नी से विवाद हो गया इसके पश्चात कीटनाशक सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया जिसे पीड़ित को परिजनों ने जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया है। मुकेश पिता भगवन यादव उम्र 31 वर्ष है। जो रोजी मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। एवं शराबी प्रवृत्ति का भी है। घर में खाना-पीना व अन्य किसी पारिवारिक विवाद के कारण उसके पास पत्नी से हो गया इसके पश्चात क्षुब्ध पीड़ित मुकेश ने घर में रखा खेतों में छिड़कने वाला कीटनाशक का सेवन कर लिया। कीटनाशक सेवन करने के पश्चात मुकेश की हालत बिगड़ने लगी जिसे देख घर परिजनों ने पूछताछ करने लगे जहां पहले तो मुकेश ने काफी हिल हवाला करने लगा। तत्पश्चात परिजनों ने बिगड़ते सेहत को देखते हुए कर दिया अस्पताल लेकर गए जहां खरसिया अस्पताल में मौजूद डाक्टर ने बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कालेज अस्पताल रिफर कर दिया। बहरहाल अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस जांच में जुट गई है।

मेकाहारा में युवक की मौत, इलाज में लापरवाही का आरोप

रायगढ़। चक्रधर नगर थाना क्षेत्र स्थित कृष्णा नगर टीवी टावर निवासी 28 वर्षीय युवक की इलाज में लापरवाही के कारण मेडिकल कालेज अस्पताल में मौत हो गई। मृतक सांस लेने में दित होने का इलाज कराने अस्पताल में भर्ती हुआ था। श्रीकांत कश्यप पिता जितेंद्र कश्यप उम्र 28 वर्ष निवासी कृष्णा नगर अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ कमाने खाने गोवा गया था। वहां से एक सप्ताह पहले ही लौटा था। अपनी पत्नी के साथ ससुराल ग्राम तारापुर गया था जहां तबीयत बिगड़ने पर घर वालों को सूचना दिया। जानकारी होने पर परिजन उसे रविवार की शाम करीब 7 बजे तारापुर से लाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराए। वही सांस लेने में दिक्कत होने की बात पिड़ित ने कहा, शुरूआत में कैजुअल्टी वार्ड में भर्ती कर इलाज प्रारंभ किया गया। तबीयत में सुधार होने के बजाय पीड़ित की हालत गंभीर हो गई।

वीरभान बने ब्राम्हण सेवा समिति के नए अध्यक्ष

नरेश शर्मा सहित 4 संरक्षक भी किए गए मनोनित

रायगढ़। ब्राह्मण सेवा समिति की आवश्यक बैठक भगवान परशुराम के मंदिर में रखी गयी थी बैठक में पूर्व अध्यक्ष मनोज शर्मा के दो वर्ष का कार्यकाल समाप्त होनें के बाद कल यह बैठक आयोजित की गई थी जिसमें सर्व सम्मति से वीरभान शर्मा को नया अध्यक्ष मनोनित किया गया। पूर्व अध्यक्ष मनोज शर्मा ने अपने कार्यकाल के दौरान ब्राम्हण सेवा समिति के कार्यो में सक्रिय भूमिका निभाकर पूरे प्रदेश में अपनी छाप छोडी है। इतना ही नहीं सदस्यता अभियान के जरिए समाज के कई नए लोगों को एकजुट करके ब्राम्हण समाज को मजबूत किया था।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता इस संघ का गठन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुर्रे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्त, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, अदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग
वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....
न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की
खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480